छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा सप्तम सत्र अंक-06

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 10 मार्च, 2016

(फाल्गुन 20, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04 एवं 06 से 12 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री रामदयाल उईके अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 27 तारांकित एवं 60 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016) **पटल पर रखा।**

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015, तथा

2. श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 18 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन अर्थ वर्ष 2007-2008 (महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर, की अंकेक्षण रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन) **पटल पर रखे।**

4. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रदेश में चिटफंड कंपनियों द्वारा लोगों से ठगी किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि किसी विषय पर सदन में चर्चा हो चुकी हो तो उस पर दोबारा चर्चा नहीं की जा सकती। प्रतिपक्ष गृह विभाग की चर्चा में इस विषय को उठा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - इस स्थगन का जो विषय है उस पर प्रश्नकाल के माध्यम से लंबी चर्चा हो चुकी है और यह विषय सालों से चला आ रहा है, हाल का विषय भी नहीं है। अनेक अवसरों पर छत्तीसगढ़ विधान सभा में चर्चा हो चुकी है। लोकसभा एवं विधान सभाओं में यह परंपरा रही है कि बजट सत्र में सामान्यत: स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं किये जाते हैं। चर्चा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। स्थगन प्रस्ताव अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.18 बजे स्थगित की जाकर 12.29 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री मोहन मरकाम एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने इस विषय पर नियम 139 के अधीन चर्चा कराने का आग्रह किया ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि नियम 139 की चर्चा समय उपलब्ध होने पर चर्चा कराने पर विचार करेंगे।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री अमित अजीत जोगी, अमरजीत भगत, सदस्य ने पोलावरम बांध निर्माण से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(2) श्री केशव चंद्रा, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत अकलतरा विकासखंड में लाफार्ज सीमेंट संयंत्र द्वारा पर्यावरण अनुमति का उल्लंघन किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 1.19 बजे स्थगित की जाकर 1.29 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर उन्होंने सदन में 07 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री संतोष बाफना
(2) श्री मोतीलाल देवांगन
(3) डॉ. विमल चोपड़ा
(4) श्री सियाराम कौशिक
(5) श्री केशव चंद्रा
(6) श्री अरूण वोरा
(7) श्री धनेन्द्र साहू

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 66, वैशालीनगर से निर्वाचित सदस्य श्री विद्यारतन भसीन द्वारा मार्च, 2016 सत्र में दिनांक 1 मार्च, 2016 से सत्रावसान तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री श्रीचंद सुंदरानी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2016 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	सदस्य का नाम	समय
1. (क्रमांक - 02)	श्री शिवरतन शर्मा	30 मिनट
2. (क्रमांक - 03)	श्री नवीन मारकण्डेय	01 घंटा
3. (क्रमांक - 15)	श्री बघेल लखेश्वर	01 घंटा

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री देवजी भाई पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री संतराम नेताम,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, भूपेश बघेल,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी),

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, बृहस्पत सिंह, नवीन मारकण्डेय,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय नेता प्रतिपक्ष का भाषण आरंभ होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री अशोक साहू, अमरजीत भगत, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री श्यामलाल कंवर, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष (जारी)

सायं 6.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2016 (फाल्गुन-21, शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा